छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक 1112/वित्त/ब–4/2016 नया रायपुर, दिनांक 20/10/2016

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, नया रायपुर

विषय :– वर्ष 2016–17 का पुनरीक्षित तथा वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान प्रस्ताव के संबंध में

वर्ष 2016–17 के पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 2017–2018 के बजट अनुमान के प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में दिनांक 21.9.2016 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया अधीनस्थ समस्त संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों को कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(कमलप्रीत सिंह)
विशेष सचिव

पृष्ठांकन क्रमांक 1113 /वित्त/ब–4/2016 नया रायपुर, दिनांक 20.10.2016

प्रतिलिपिः–

समस्त विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी, छत्तीसगढ़। वर्ष 2016–17 के पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 2017–2018 के बजट अनुमान के प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में दिनांक 21.9.2016 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न है। कृपया कार्यवाही विवरण के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(अरविन्द कुजूर)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

वर्ष 2016–17 का पुनरीक्षित तथा वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान प्रस्ताव के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 21.9.2016 का कार्यवाही विवरण

विशेष सचिव, वित्त की अध्यक्षता में वर्ष 2016–17 का पुनरीक्षित तथा वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान के प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में दिनांक 21.9.2016 को दो पालियों में पूर्वान्ह 11.30 बजे एवं अपरान्ह 2.00 बजे समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों के अंतर्गत पदस्थ वित्त अधिकारियों/बजट कार्य से संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार आवश्यक निर्देश दिए गए–

1. **वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में आयोजनेतर एवं आयोजना का विलय**

राज्य शासन के बजट में आगामी वित्तीय वर्ष से आयोजनेतर एवं आयोजना का विलय किया जाना है। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2017–18 में आयोजनेतर एवं आयोजना बजट पृथक–पृथक तैयार किए जाने के स्थान पर बजट अनुमान 2017–18 तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आयोजनेतर अंतर्गत ऐसी योजनाएं जिन्हें अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत ले जाया जा सकता हो, उन्हें भी चिन्हांकित कर वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान तैयार करने के निर्देश दिए गए। वित्तीय वर्ष 2016–17 का पुनरीक्षित अनुमान व 2015–16 के लेखे यथावत् आयोजना एवं आयोजनेतर मद में तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए।

2. **लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र**

महालेखाकार कार्यालय द्वारा राज्य शासन को अवगत कराया गया है कि विभागों द्वारा सहायता अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को प्रेषित नहीं किया जा रहा है। कार्यालय महालेखाकार के अनुसार वर्ष 2007–08 से 31.3.2016 की स्थिति में सहायता अनुदान से संबंधित समस्त लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल कार्यालय महालेखाकार को भेजने के निर्देश दिए गए। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की डीडीओ वार सूची वित्त विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

3. **व्यक्तिगत खाता**

कार्यालय महालेखाकार द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 31.3.2016 की स्थिति में व्यक्तिगत खाता में रूपये 1696.46 करोड़ जमा है। 291 व्यक्तिगत खाता धारकों में से केवल 86 जमा खाता धारकों द्वारा ही महालेखाकार कार्यालय के लेखे से मिलान किया गया है। अतः समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों को संबंधित व्यक्तिगत खाता धारकों को तत्काल महालेखाकार कार्यालय

से मिलान करने हेतु निर्देशित करने के निर्देश दिए गए। व्यक्तिगत खाता धारकों की महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त जिलेवार सूची वित्त विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

4. **विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार कार्यालय से मिलान**

कार्यालय महालेखाकार द्वारा राज्य शासन को अवगत कराया गया है कि बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लेखा मिलान का कार्य समय पर नहीं किया जाता है। अतः बजट नियंत्रण अधिकारियों को प्रत्येक तिमाही में लेखा मिलान का कार्य पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए।

लेखा मिलान कार्य हेतु ऑनलाईन व्यवस्था भी है, जिसके अंतर्गत लेखा मिलान कार्य पूर्ण कर "Nil Report" महालेखाकार को भेज सकते हैं।

5. **मुख्य शीर्ष 7610 में ऋणात्मक शेष**

महालेखाकार कार्यालय द्वारा वित्त विभाग की Entry Conference में अवगत कराया गया है कि मुख्य शीर्ष 7610 में 31.3.2016 की स्थिति में रूपये (–) 1068.66 लाख के ऋणात्मक शेष हैं, जो विभागों द्वारा वर्ष 2000–01 से स्वीकृत किए गए गृह निर्माण अग्रिम/मोटर साईकिल अग्रिम/कम्प्यूटर अग्रिम से संबंधित हैं। समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों को उक्तानुसार दिए गए अग्रिमों से संबंधित व्हाउचर/स्वीकृति आदेश कार्यालय महालेखाकार को प्रेषित करने एवं अग्रिमों की वसूली/समायोजन कर निराकरण के निर्देश दिए गए।

6. **पी.एफ.एम.एस. का क्रियान्वयन**

भारत सरकार के निर्देशानुसार केन्द्रीय योजनाओं की राशि का प्रवाह व निगरानी के लिए बनाए गए पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर केन्द्रीय योजनाओं व राज्य शासन की केन्द्र से संबंधित योजनाओं की मैंपिंग व केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत राशि प्रवाह में आने वाली समस्त क्रियान्वयन एजेंन्सी का पी.एफ.एम.एस. में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराया जाना है। भारत सरकार द्वारा वित्त विभाग के अंतर्गत पी.एफ.एम.एस.एस.पी.एम.यू. का गठन किया गया है जिसके समन्वय से उक्त कार्य प्राथमिकता में सम्पन्न किया जाना है। सभी विभागों को पी.एफ.एम.एस. क्रियान्वयन के प्रति संवेदनशील किया गया एवं वित्त विभाग के समन्वय से उक्त कार्य शीघ्र संपादित किए जाने के निर्देश दिए गए।